25.6.18 पत्रावली आज पीठासीन अधिकारी (?) में पेश हुई।

वादपत्र में वर्णित ग्राम हुकमपुरा के भूमि ख.नं. 563 व 565 वादीगण की खातेदारी भूमि है। प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार/सह खातेदार नहीं है लेकिन वे वादीगण की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में अनावश्यक रूप के दखलंदाजी कर रहे है जिनका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क्रं. 1 से 6 को जरिये स्थाई आदेश से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम हुकमपुरा के भूमि ख.नं. 563 व 565 जो वादीगण की खातेदारी भूमि है के उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद होते ही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.6.18 को खुले न्यायालय (?) में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)